सरकारी ट्यूबवेल को कबाड़ के बोरे से दबा रखा था, 5000 रुपए का जुर्माना वसूला

कबाड़ से भरे बोरे रखकर दबाया गया ट्यूबवेल।

रतलाम | नगर निगम के स्वच्छता अभियान पर कबाड़ी पानी फेर रहे हैं। एक कबाड़ी पर शनिवार को स्पॉट फाइन दल ने 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला जावरा रोड स्थित प्रकाश नगर का है, जहां आसिफ नामक कबाड़ी ने सरकारी ट्यूबवेल पर कबाड़ से भरे बोरे रखकर अतिक्रमण कर रखा था। यह देख स्पॉट फाइन टीम ने ट्यूबवेल से बोरे हटवाए। आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर कबाड़ी आसिफ रद्दी भंडार से स्पॉट फाइन वसूला। इसके अलावा कचरा एवं गंदगी करने पर ईश्वरलाल 2000 रुपए और सोहनलाल से 500 रुपए का फाइन लिया। कार्रवाई उपयंत्री राजेंद्र मिश्रा व टीम ने की।

दै० भास्कर
1-5-2022

शासकीय नलकूप पर अतिक्रमण करने वाले पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को दो व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। साथ ही जावरा रोड प्रकाश नगर क्षेत्र में आसिफ रद्दी भंडार द्वारा शासकीय ट्यूबवेल पर कबाड़ का सामान रखकर अतिक्रमण करने पर 5000 रुपये का जुर्माना करने के साथ ही ट्यूबवेल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गंदगी फैलाने पर ईश्वरलाल से 2000 रुपये, सोहनलाल से 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने, अतिक्रमण व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। कार्रवाई उपयंत्री राजेंद्र मिश्रा के निर्देशन में की गई।

नई दुनिया
1-5-2022

जलसंकट : मड पंप बुझा रहे आधे शहर की प्यास, 15 इलाकों में टैंकरों से पहुंचाना पड़ रहा पानी

भास्कर ब्रेकिंग

भास्कर संवाददाता | शिवेंद्र दुबे

1-5-22

धोलावड़ डैम के नए इंटकवैल ने दम तोड़ दिया है। नगर निगम को मड पंप चालू करना पड़े हैं। ये मड पंप विधायक चेतन्य काश्यप ने उज्जैन से सिंहस्थ के बाद सरकार से बात कर यहां बुलवाए थे। आधे शहर की प्यास इन्हीं 65 एचपी के दो मड पंप के भरोसे है। 33 से 35 एमएलडी की जरूरत के मुकाबले नए और पुराने इंटकवेल से 31 से 32 एमएलडी पानी मिल रहा है। टंकियां नहीं भराने से सप्लाई नहीं हो रही है।

शनिवार को कस्तूरबा नगर टंकी को भरने वाली सुभाषनगर रेलवे क्रॉसिंग के आगे से गुजर रही 300 एमएम की पाइप लाइन लीकेज के बाद फूट गई। रोज 12 से 15 इलाकों में टैंकर से पानी बांटना पड़ रहा है। डेम में उतारे दो मड पंप में से एक खराब हो गया तो पानी की मारामारी मच जाएगी क्योंकि निगम के पास टैंकर से पानी बांटने के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।

पानी के लिए परेशान हो रहे लोग टैंकर आने पर उसे ऐसे घेर लेते हैं ताकि पर्याप्त पानी मिल सके

शिवनगर में बीते कई दिनों से टैंकर से पानी पहुंच रहा है। जब भी टैंकर पहुंचता है यहां भीड़ लग जाती है।

इन इलाकों में टैंकर से भेजना पड़ रहा पानी

▪ प्रकाश नगर ▪ टैंकर रोड ▪ जेवीएल झुग्गी बस्ती ▪ बरबड़ झुग्गी बस्ती ▪ ईश्वर नगर ▪ हम्माल कॉलोनी ▪ बजरंग नगर ▪ अर्जुन नगर ▪ सुदामा परिसर ▪ नाहरपुरा ▪ भक्तन की बावड़ी ▪ पुराना आरटीओ ऑफिस क्षेत्र ▪ पहलवान बाबा की दरगाह रोड ▪ प्रकाश नगर ▪ शिवनगर

दो साल के निचले स्तर पर डेम का पानी

धोलावड़ की क्षमता 395 मीटर है। अभी जलस्तर 384.85 मीटर है। ये दो साल का निचले स्तर है। 30 अप्रैल 2020 को 385.55 मीटर और 30 अप्रैल 2021 को 385.30 मीटर था। कोरोना के पहले 30 अप्रैल 2019 को डेम का पानी 384.20 मीटर तक पहुंच गया था।

7 माह में 10.15 मीटर खाली हो गया

क्षमता – 395 मीटर
जलस्तर (सितंबर 2021)– 395 मीटर से ऊपर ओवरफ्लो
जलस्तर (30 अप्रैल 2022) – 384.85 मीटर
कितना खाली हुआ – 10.15 मीटर
डेड स्टोरेज – 380 मीटर

पटरी पार आधे इलाकों में नहीं बंट पाया पानी

▪ **गंगासागर टंकी** – शनिवार को उन इलाकों में पानी दिया, जहां शुक्रवार को नहीं दे सके थे। शनिवार अलकापुरी, नयागांव, विनोबा नगर, जवाहर नगर का कुछ भाग समेत अन्य इलाके को रहवासियों को बिना पानी रहना पड़ा।

▪ **कस्तूरबा नगर टंकी** – 17 से ज्यादा छोटी-बड़ी कॉलोनियों में जलप्रदाय नहीं हो पाया क्योंकि पाइप लाइन फूट गई थी। टंकी से रविवार सुबह पानी दिया जाएगा।

▪ **गांधीनगर टंकी** – सुबह तक पूरी नहीं भर पाई थी, इस कारण सप्लाई नहीं हो पाई। इसे भरने के बाद सुबह 6 बजे की बजाए शाम 7 बजे से सप्लाई दी।

▪ **पोलोग्राउंड व गोशाला टंकी** – एक सप्ताह की परेशानी के बाद शनिवार को दोनों टंकियों से समय पर सप्लाई दी। हालांकि कुछ इलाकों में शाम को पानी देना पड़ा।

दै० भास्कर
1/5/2022

निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के नियम बनाए

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। राज्य सरकार ने 'मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021' के नियम शनिवार को जारी कर दिए हैं। इसके तहत दावा अधिकरण सार्वजनिक सुनवाई करेगा। हालांकि कुछ मामलों में उसे गोपनीय भी रखा जा सकता है, वहीं अधिकरण अपने सुचारू कामकाज के लिए दावा आयुक्त नियुक्त करेगा। इसके लिए सरकार तीन अधिकारियों के नाम का पैनल भेजेगी। ज्ञात हो कि प्रदेश में पांच जनवरी 2022 को यह कानून लागू कर दिया गया है। इसके तहत खरगोन दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दावा अधिकरण गठित कर दिया गया है।

दावा अधिकरण के अध्यक्ष के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वित्तीय या अन्य हित न होने का शपथ पत्र देना होगा। अधिकरण का कार्यालयीय कामकाज संभालने के लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। वह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा, जो सिर्फ अधिकरण के लिए उत्तरदायी होगा। जबकि, अन्य कर्मचारियों का इंतजाम गृह विभाग करेगा। नियमों के अनुसार दावेदार खुद दावा प्रस्तुत कर सकेगा और खुद ही जिरह भी कर सकेगा। जरूरत होने पर वकील या प्रतिनिधि भी खड़ा कर सकता है। वहीं किसी मामले में आवश्यक होने पर अधिकरण घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा और राय लेने के लिए निरीक्षण के दौरान कानूनी सलाहकार और विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता को भी बुला सकेगा।

अधिनियम के तहत तीन लोगों के पैनल से अधिकरण का अध्यक्ष चुनेगा दावा आयुक्त

नईदुनिया 15-5-22

ईद पर कानून व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम। आगामी ईद के त्योहार के अवसर पर जिले में आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों का आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान किसी छोटी सी भी घटना पर संज्ञान तत्काल लिया जाए। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। स्थानीय व्यक्तियों से चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने ईद के अवसर पर मस्जिदों, ईदगाहों के रास्तों, परिसरो पर आवश्यक साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया।

1-5-2022

ईद पर कानून व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम। आगामी ईद के त्योहार के अवसर पर जिले में आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों का आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान किसी छोटी सी भी घटना पर संज्ञान तत्काल लिया जाए। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। स्थानीय व्यक्तियों से चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने ईद के अवसर पर मस्जिदों, ईदगाहों के रास्तों, परिसरो पर आवश्यक साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया।

1-5-2022

ईद को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

रतलाम ● ईद के त्योहार के अवसर पर जिले में आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों का आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान किसी छोटी-सी भी घटना पर संज्ञान तत्काल लिया जाएं। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएं। स्थानीय व्यक्तियों से चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने ईद के अवसर पर मस्जिदों, ईदगाहों के रास्तों, परिसरों पर आवश्यक साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया।

1-5-2022

ईद पर कानून व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम। आगामी ईद के त्योहार के अवसर पर जिले में आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों का आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान किसी छोटी सी भी घटना पर संज्ञान तत्काल लिया जाए शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए स्थानीय व्यक्तियों से चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं कलेक्टर ने ईद के अवसर पर मस्जिदों, ईदगाहों के रास्तों, परिसरो पर आवश्यक साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया।

1-5-2022

ईद के अवसर पर व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम। आगामी ईद के त्योहार के अवसर पर जिले में आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों का आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान किसी छोटी सी भी घटना पर संज्ञान तत्काल लिया जाए शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए स्थानीय व्यक्तियों से चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने ईद के अवसर पर मस्जिदों, ईदगाहों के रास्तों, परिसरो पर आवश्यक साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया।

1-5-2022

जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर निगमायुक्त से मिले भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल ने जताई नाराजगी

आयुक्त ने दिया सुधार का आश्वासन

रतलाम। शहर में जल प्रदाय व्यवस्था में लगातार समस्याएं निर्मित हो रही हैं। इससे आमजन परेशान है। जल वितरण समस्याओं को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्षगण निगमायुक्त सोमनाथ झारिया से मिले और तत्काल व्यवस्था में सुधार की मांग की। श्री झारिया ने आश्वस्त किया कि जल्द ही जल वितरण व्यवस्था के तहत? टंकियां भरने के कार्य की समीक्षा कर नई व्यवस्था बनाएंगे। इससे आम लोगों को समय पर जल वितरण हो सकेगा। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में सूरजमल जैन मंडल के अध्यक्ष निलेश गांधी, मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष कृष्णकुमार सोनी, ठाकरे मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, महामंत्री हेमन्त राहोरी, नन्दकिशोर पंवार, राकेश परमार, विनोद यादव, कमल सिलावट एवं लोकेश जायसवाल शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने निगमायुक्त को नलों से गंदा एवं मटमेला पानी आने की शिकायत करते हुए तत्काल स्वच्छ जल का वितरण कर आरंभ कराने की मांग की। उन्होंने जल प्रदाय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने, पानी की टंकियों से बहने वाले पानी पर रोक लगाने, पाईप लाईन के लिकेज तत्काल ठीक करने एवं धोलावाड़ से रतलाम के बीच पाईप लाईन फोड़ कर की जा रही पानी की चोरी पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने रिलायंस कंपनी द्वारा लाईन जोड़ने एवं बिछाने के कार्य से गंदा पानी आने की शिकायत करते हुए इस समस्या का समाधान करने पर भी जोर दिया। पार्टी नेताओं ने मानसून पूर्व सभी सड़कों का पेचवर्क कराने एवं नालों की सफाई का कार्य भी कराने की मांग की। उन्होंने शहर की सभी कालोनियों एवं बस्तियों में सुचारू रूप से जल आपूर्ति करने पर जोर दिया, ताकि आम नागरिकों को आए दिन होने वाली परेशानी से मुक्ति मिले। यह जानकारी भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी अरूण त्रिपाठी ने दी।

जल संकट तथा प्रदूषित जल को लेकर आयुक्त को ज्ञापन दिया

रतलाम ● स्वदेश समाचार

भीषण गर्मी में शहर के विभिन्न इलाकों में गंभीर जल संकट बना है। कई इलाकों में तो दो-तीन-तीन दिन में पानी मिल रहा है, तो कई इससे भी अधिक समय तक जल वितरण नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि जल प्रदाय व्यवस्था हर गर्मी के दौरान गंभीर होती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस ओर ध्यान नहीं देते और नहीं यह प्रयास करते है कि इसका स्थायी हल कैसे निकाला जाए।

सत्तारूढ़ दल के नेता भी अब जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर प्रशासन की आलोचना कर रहे है। भाजपा के नेता जल वितरण व्यवस्था को लेकर निगमायुक्त से मिले और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें जल प्रदाय वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग करते हुए पानी टंकियां पर्याप्त मात्रा में भरने के लिए कहा है ताकि लोगों को समय पर जल मिल सके। साथ ही जल नलिकाओं में आ रहे प्रदूषित पानी को लेकर भी आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया है।

भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में सूरजमल जैन मंडल के अध्यक्ष निलेश गांधी, मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष कृष्णकुमार सोनी, ठाकरे मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, महामंत्री हेमन्त राहोरी, नन्दकिशोर पंवार, राकेश परमार, विनोद यादव, कमल सिलावट एवं लोकेश जायसवाल शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने निगमायुक्त को नलों से गंदा एवं मटमेला पानी आने की शिकायत करते हुए तत्काल स्वच्छ जल का वितरण कर आरंभ कराने की मांग की। उन्होंने जल प्रदाय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने, पानी की टंकियों से बहने वाले पानी पर रोक लगाने, पाइप लाइन के लीकेज तत्काल ठीक करने एवं धोलावाड़ से रतलाम के बीच पाइप लाइन फोड़ कर की जा रही पानी की चोरी पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने रिलायंस कंपनी द्वारा लाइन जोड़ने एवं बिछाने के कार्य से गंदा पानी आने की शिकायत करते हुए इस समस्या का समाधान करने पर भी जोर दिया। पार्टी नेताओं ने मानसून पूर्व सभी सड़कों का पेचवर्क कराने एवं नालों की सफाई का कार्य भी कराने की मांग की। उन्होंने शहर की सभी कॉलोनियों एवं बस्तियों में सुचारू रूप से जल आपूर्ति करने पर जोर दिया, ताकि आम नागरिकों को आए दिन होने वाली परेशानी से मुक्ति मिले।

नेशनल लोक अदालत 14 मई को

रतलाम। मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों को निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 289 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना एवं आलोट न्यायालयों मे प्रस्तुत किया है। नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, जावरा, सैलराना एवं आलोट के न्यायालयों में संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रकरण निराकरण के लिए बीएसएनएल के कार्यालय में भी 14 मई के पूर्व सम्पर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। बीएसएनएल ने आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील की है।

नव भारत 1-5-22

नव भारत
1-5-22

नेशनल लोक अदालत 14 को

रतलाम। मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों को निराकरण होगा।

नई दुनिया
1-5-2022

नेशनल लोक अदालत 14 को

रतलाम | सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत 14 मई को लगेगी। आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों को निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्व की लंबित राशि से संबंधित 289 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना एवं आलोट न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, जावरा, सैलाना और आलोट के न्यायालयों में संबंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रकरण निराकरण के लिए बीएसएनएल के कार्यालय में 14 मई के पहले संपर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। बीएसएनएल ने आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील की है। भास्कर

दै. भास्कर
1-5-2022

7 सफाई मित्रों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम | सफाई व्यवस्था पर बिना अनुमति और सूचना के ड्यूटी पर नहीं आने वाले 7 कर्मचारियों का आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटा है। शनिवार सुबह पर्यवेक्षकों की चेकिंग में कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। रिपोर्ट पर आयुक्त ने कार्रवाई की। सभी कर्मचारी सुबह की शिफ्ट के हैं। इसी प्रकार रात्रिकालीन सफाई के 9 कर्मचारी शुक्रवार रात ड्यूटी पर नहीं मिले। इनका भी एक दिन का वेतन काटा है।

भास्कर 1-5-22

दै. भास्कर
1-5-2022

जैन एवं मंसूरी सेवानिवृत्त

रतलाम ● नगर निगम प्रभारी कार्यपालन यंत्री एमके जैन व ड्रायवर यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी की अद्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर निगम के विकास शाखा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी विदाई दी गई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सेवाकाल में किए गए कार्यों प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सेवानिवृत्तों का साफा बांधकर व शाल-श्रीफल तथा प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया। संचालन गोपाल झालीवाल ने किया व आभार एपी सिंह ने माना।

सेवानिवृत्त हुए निगम के एम के जैन व यूसुफ मंसूरी

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर निगम प्रभारी कार्यपालन यंत्री एम.के.जैन व ड्रायवर यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर निगम के विकास शाखा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाव-भीनी विदाई दी गई।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अपने उद्बोधन में एम.के.जैन व ड्रायवर यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये कार्यों प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर एम.के.जैन व ड्रायवर यूसुफ-अहमद नूर मंसूरी को साफा बांधकर व शाल-श्रीफल तथा प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल.चौधरी, कार्यालय अधीक्षक जगदीश पांचाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी.सिंह सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गोपाल झालीवाल ने किया व आभार ए.पी. सिंह ने माना।

लोकसेवा केंद्रों की कार्य व्यवस्था को लेकर कलेक्टर हुए नाराज, बैठक में दिए निर्देश

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 1-5-22

कलेक्टर ने कहा कि जिले के लोक सेवा केंद्रों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। केंद्र तहसीलदारों के अधीन होते हैं। तहसीलदार ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। लोक सेवा केंद्रों की व्यवस्थाओं में जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुधार किया जाए। सभी संबंधित तहसीलदारों के प्रतिशत से नाराजगी व्यक्त की गई।

इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधक के प्रति भी कलेक्टर नाराज हुए। बैठक में अपर कलेक्टर एम एल आर्य, एसडीएम राजेश शुक्ला, सुश्री कृतिका, एसएलआर रमेश सिसोदिया, एम एस बारस्कर, तहसीलदार श्रीमती अनीता चौकोटिया, तहसीलदार गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बैठक में धारणा अधिकार, स्वामित्व योजना की समीक्षा की भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। उल्लेखनीय है कि शासन के विभिन्न विभागों को उनके भवनों के निर्माण हेतु राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित की जाती है।

इस संबंध में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अप्रैल के पूर्व के अब तक जिन तहसीलदारों के भूमि आवंटन प्रकरण लंबित हैं उनकी दो दो वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। उनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। कलेक्टर ने वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी हितग्राहियों को भूमि पट्टा वितरण की भी समीक्षा की.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आय करदाताओं से निधि की वसूली की समीक्षा भी की गई आधार कार्ड में इंग्लिश नेम करेक्शन पेंडेंसी की समीक्षा करते हुए अत्यधिक कमजोर प्रगति पाए जाने पर अधिकतर तहसीलदारों को फटकार लगाई गई।

राज एक्सप्रेस 1-5-2022

लोक सेवा केंद्रों की कार्य व्यवस्था सुधारने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा शनिवार प्रातः राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई कलेक्टर ने कहा कि जिले के लोक सेवा केंद्रों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है केंद्र तहसीलदारों के अधीन होते हैं। तहसीलदार ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं लोक सेवा केंद्रों की व्यवस्थाओं में जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुधार किया जाए सभी संबंधित तहसीलदारों के प्रतिशत से नाराजगी व्यक्त की गई। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधक के प्रति भी कलेक्टर नाराज हुए बैठक में अपर कलेक्टर एमएल आर्य, एसडीएम राजेश शुक्ला, सुश्री कृतिका, एसएलआर रमेश सिसोदिया, एमएस बारस्कर तहसीलदार श्रीमती

अधिकार, स्वामित्व योजना की समीक्षा की भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा तहसीलदारों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई उल्लेखनीय है कि शासन के विभिन्न विभागों को उनके भवनों के निर्माण हेतु राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित की जाती है। इस संबंध में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अप्रैल के पूर्व के अब तक जिन तहसीलदारों के भूमि आवंटन प्रकरण लंबित हैं उनकी दो दो वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। उनको शो का नोटिस दिया जाएगा कलेक्टर ने वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी हितग्राहियों को भूमि पट्टा वितरण की भी समीक्षा की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में